तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/2236/2003/चित्तौडगढ** **नानालाल व अन्य बनाम मानीया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री जे0के0 पंत, वकील प्रार्थी की ओर से।

विपक्षी बावजूर सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—12.03.2025

1— यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर प्रतापगढ द्वारा प्रकरण संख्या 188/01 में पारित आदेश दिनांक 24—03—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल कर मदाखलत कर भूमि पर फसल नहीं बोयी बल्कि विवादित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिये धारा 183 व 209 टिनेन्सी एक्ट के तहत जो संशोधन चाहा है उसके प्रार्थीगण कानूनी हकदार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में संशोधन की आज्ञा पारित करने में भूल कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मूल रूप से कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने एवं इसी आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था किन्तु मौके पर वादीगण का कब्जा नहीं है, इस कारण उसे दावे में अनुतोष मिलने की संभावना नहीं होने से वाद मेन्टेनेबल नहीं है। इस कारण संशोधन का प्रार्थना पत्र न्यायालय को गुमराज करने के लिए पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी द्वारा मूल वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया गया था तथा जो संशोधन चाहा गया है वह उक्त धारा के विपरीत धारा 183 आरटी एक्ट के तहत कब्जा लेने बाबत् संशोधन का है जिससे मूल वाद की प्रकृति एवं नोहियत बदल जाती है तथा वाद का परिणाम भी उल्टा हो जाता है ऐसी स्थिति में कानूनन उक्त संशोधन की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय अपर कलक्टर प्रतापगढ जिला चित्तौडगढ का निर्णय दिनांक 24—03—2003 निरस्त फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 खारिजि फरमाया जावे।

4— हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार द्वारा पत्रावली पर की गयी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/2236/2003/चित्तौडगढ** **नानालाल व अन्य बनाम मानीया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अनिगराकार क्रम 01 लगायत 03 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया। तत्पश्चात् दिनांक 30–08–2002 को अनिगराकार क्रम 02 हकरा ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया। निगराकारगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर अपने आदेश दिनांक 24–03–2003 के द्वारा अनिगराकार क्रम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को स्वीकार कर प्रस्तुत वाद में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करने का आदेश पारित किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–03–2003 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। निगराकार ने अपने निगरानी मीमों में मुख्य रूप से कथन किया है कि ''वादी द्वारा मूल वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया था तथा जो संशोधन चाहा गया है वह उक्त धारा के विपरीत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जा लेने बाबत् संशोधन का है जिससे मूल वाद की प्रकृति एवं नोहियत बदल जाती है तथा वाद का परिणाम भी उल्टा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कानूनन उक्त संशोधन की आज्ञा नहीं दी जा सकती।'' हम विद्वान अभिभाषक निगराकार के उक्त कथनों से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कब्जा करना कथन किया था जिसपर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने उक्त कथन का खण्डन नहीं किया था। उक्त आधार पर परीक्षण न्यायालय ने वाद में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करते हुए संशोधित वाद पेश किये जाने का आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5– परिणामतः प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय अपर कलक्टर प्रतापगढ जिला चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–03–2003 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	